बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03-विविध-44/2014- 2650 खाद्य/पटना, दिनांक- 30/03/15

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना ।

विषयः- कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य की भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए नाबार्ड द्वारा WIF के अन्तर्गत नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम (NWS) 2014-15 के अधीन स्वीकृत ऋण रू0 113.0714 करोड़ एवं राज्यांश रू0 5.9514 करोड़, कुल रू0 119.0228 करोड़ (एक सौ उन्नीस करोड़ दो लाख अठ्ठाइस हजार रूपये) मात्र से राज्य के 4 जिलों में प्रखंड/बाजार समिति में, जहाँ भूमि उपलब्ध है, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए Pre fabricated Structure पर आधारित 5000 मे0टन भंडारण क्षमता के कुल 13 गोदामों (भंडारण क्षमता 65,000 मे0टन) का निर्माण, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, से कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत

2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के लिए कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य में नाबार्ड द्वारा WIF के अन्तर्गत नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम (NWS) 2014-15 के अधीन स्वीकृत ऋण रू0 113.0714 करोड़ एवं राज्यांश रू0 5.9514 करोड़, कुल रू0 119.0228 करोड़ (एक सौ उन्नीस करोड़ दो लाख अठ्ठाइस हजार रूपया) मात्र से राज्य के 4 जिलों रोहतास, मुंगेर, सुपौल एवं पूर्णिया में प्रखंड/बाजार समिति में, जहाँ भूमि उपलब्ध है, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए Pre fabricated Structure पर आधारित 5000 मे0टन भंडारण क्षमता के कुल 13 गोदामों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. राशि मुख्यशीर्ष 4408-खाद्य, भंडारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-भंडारण तथा भंडागार, लघुशीर्ष-101-ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, मांग संख्या-03, उपशीर्ष-0101-लक्षित जन वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम, विपत्र कोड-पी0 4408021010101, राज्य योजना स्कीम कोड BUI 5668 एवं 0102 खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित), विपत्र कोड पी04408021010102 ईकाई- 53 01-मुख्य निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

D:\Year-2014 Sec-3 File\Vived Sec-3 Letter-1.doc

30/3/2015

4. चूकि भवन निर्माण विभाग के मुख्यशीर्ष 4408 मांग संख्या- 03 में राशि उपबंधित होगी। अतः उन्हीं के द्वारा व्यय के लिए राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. इस कार्य पर होनेवाले व्यय की स्वीकृति योजना एवं विकास विभाग, बिहार से प्राप्त Outlay एवं उस आधार पर किये जानेवाले बजट उपबंध के अधीन रहेगा।

6. इस कार्य हेतु किसी नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

7. यह प्रशासनिक स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 28.03.2015 की बैठक के मद संख्या-04 के रूप में प्राप्त स्वीकृति एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्रांक- 12083 दिनांक- 27.11.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल 5,000 मे0टन भंडारण क्षमता के Pre fabricated Structure पर आधारित 13 गोदामों के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू0 119.47 करोड़ के आलोक में दी जाती है।

8. इस संबंध में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. स्वीकृति पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/3/2015

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र03-विविध-44/2014- 2650 खाद्य/पटना, दिनांक- 30/03/15

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव कोषांग एवं प्रभारी, बजट शाखा (05), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2015

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र03-विविध-44/2014- 2650 खाद्य/पटना, दिनांक- 30/03/15

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 28.03.2015 के मद संख्या-04 के अनुपालन के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2015

सरकार के सचिव।